न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–27 सन् 2019

हरेन्द्र सिंह......................वादी।

बनाम

पवन सिंह ....प्रतिवादी।

दिनांक–19.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.09.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादी के बीच सुलह होने की कोई संभावना नहीं है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त वाद में आगे की कार्रवाई किया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत नियत चला आ रहा था। वादी की ओर से आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी के बीच सुलह की संभावना वर्तमान में संभव नहीं है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत करते हुए वाद को अग्रसारित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक.................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।